

ए.सी.पी.

संख्या-211/ 111-2/05-59(प्र.आ.) / 05

प्रेषक,
टी.के.पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता रतार-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (ए.सी.पी.) के अन्तर्गत 52(बानन) नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संलग्न सूची में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (ए.सी.पी.) के अन्तर्गत 52(बानन) नये कार्यों के रुपये 6309.14 लाख की लागत के आगमनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरांत औचित्यपूर्ण पायी गयी रुपये 5839.20 लाख (रु० अठानव करोड़ उन्नालीस लाख बीस हजार मात्र) की लागत के आगमन की उनके समुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उसकी समुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रु० 10.40 लाख (रु० दस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की गयी श्री राज्यपाल महोदय भिन्नलिखित शर्तों के अधीन स्वयं स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगमन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार याच से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का मूल्यांकन नियमानुसार प्रयोग गरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य करने से पूर्व निरस्त आगमन / गारान्टी गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राथमिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राथमिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर खर्च की व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्ड है, स्वीकृत नार्ड से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व निरस्त आगमन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के कम नजर रखत हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विधिपत्रों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य करने से पूर्व स्थल का गली गॉटि निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूमिपन्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगमन में दिन गवरी हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मर्द में किया जाय, एक मर्द का दूसरी मर्द में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपर्युक्त आगे वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

P.C. attested

सहायक अभियन्ता - I
निर्माण खण्ड, नो० 110 वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो० 110 वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

स्वीकृत की जा रही धनराशि का आग्रह तब ही किया जायेगा जब योजना हेतु भूमि का उपलब्धता सुनिश्चित कर उसका कब्जा प्राप्त हो जाय। यदि कब्जा नहीं प्राप्त होता है तो उसकी सूचना शासन को देकर समस्त धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उसी योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आग्रह न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

12. व्यय करने से पूर्व दिन गारमलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगमनों/पुनरीक्षित आगमनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगमनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक- 31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेंडर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

13. आगामी किरत तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किरत अवमुक्त की जायेगी।

14. कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054 राइकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-000-अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-02 नया-निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे खाला जायेगा।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-ग.ओ. 105/XXVII/(2)/2005 दिनांक 16 नवम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- 52 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-211/

(1)/111-2/05, तददिनांक।

प्रतिनिधि भिन्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा प्रभाग) उत्तरांचल, इलाहाबाद/ देहरादून।
- 2- आयुक्त कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पीछी।
- 3- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 4- तहसिल कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून।
- 6- मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र लो० 110 वि०, अलमोड़ा/पीछी।
- 7- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो० 110 वि०, उत्तरांचल।
- 8- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/2 उत्तरांचल शासन
- 10- गार्ड फ़ाइल।

P.C. attested
सहायक अभियन्ता - I
निर्माण खण्ड, नो० 110 वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

आज्ञा से,

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

सहायक अभियन्ता III
निर्माण खण्ड लो० 110 वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

संख्या 111(2)/05-59(प्र.आ.)/05 दिनांक 10 नवम्बर, 2005 का संलग्नक
(धनराशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2005- 06 में व्यय की रक़ीक़त
1	देवलथल-चौकाठाना बगडोली मोटर मार्ग के किमी0 3 से थालगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	43.10	35.60	0.20
2	बुगाछीना-अलगडा मोटर मार्ग के किमी0 4 से पेटखाल तक मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	135.10	124.60	0.20
3	जोआई0सी0सुकोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से ग्राम डुण्डखोला तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं नव निर्माण	10.00	226.20	177.60	0.20
4	देवलथल-कनालीछीना मोटर मार्ग के किमी0 2 से रीठा तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	40.40	35.60	0.20
5	लछेर से सोडलेख तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण	4.00	69.60	69.60	0.20
6	जाख-पुरान-मेलडुंगरी मोटर मार्ग का विस्तार (मैल्डू तक स्वीकार्य)	25.00	482.50	445.00	0.20
7	सुवालेश से पुंगरीली मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य	2.00	34.80	28.60	0.20
8	बडासी से कांठबोरा होते हुये बीनकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण	10.00	220.00	178.00	0.20
9	कनालीछीना पीपली मोटर मार्ग रांगडी नामक स्थान से अम्बेडकर ग्राम लिमाटोडा हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण	5.00	85.90	84.82	0.20
10	कनालीछीना-पीपली मोटर मार्ग के छडनदेव से नुवाली मोटर मार्ग का निर्माण	15.00	262.70	262.70	0.20
11	अम्बेडकर ग्राम कांडा हल्का वाहन मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	---	60.74	60.74	0.20
12	विमतीली रोसांल मोटर मार्ग से सम्पर्क मार्ग हल्का वाहन मार्ग मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं सुल्ला तक विस्तार कार्य	12.00	199.40	198.68	0.20
13	जनपद नैनीताल के अन्तर्गत चमडिया छयोडी ह0वा0 मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए पक्का करना	15.00	322.50	322.50	0.20
14	अम्बेडकर ग्राम रिखोली ह0वा0मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए पक्का करना	11.00	236.50	236.50	0.20

सहयक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0
बडकोट(उत्तरकाशी)

P.C. attested

सहायक अभियन्ता

गोणा त्वासी-शिल्टोना ह0वा0मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए पक्का करना	4.00	86.00	86.00	0.20
16 जनपद पौड़ी विकास खण्ड पावौ में ग्राम कोला सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं डामरीकरण	4.00	62.40	62.40	0.20
17 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा में ग्राम ओडगांव सम्पर्क ह0वा0मार्ग चौड़ीकरण पक्कीकरण एवं किमी0 3 में 15 मी0 मीसिंग सेतु का निर्माण	4 15मी0 रथान सेतु	77.40	77.40	0.20
18 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकरवर में ग्राम सेम व भरपुर ह0वा0मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण	10.60	165.36	165.36	0.20
19 जनपद टिहरी गढ़वाल में थलूड ककडू ह0वा0मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन कर पक्का करना	4.65	72.54	72.54	0.20
20 कुपनौर से हलना मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	94.80	94.80	0.20
21 उत्तरकाशी में थातारा से अरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	31.60	31.60	0.20
22 उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत कुवां-कफनौल मोटर मार्ग से रिमलराशी अम्बेडकर मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य ।	3.00	32.10	32.10	0.20
23 अरथाई खण्ड लो0नि0 थलूड (टिहरी) के अन्तर्गत कैपटी थलूड मोटर मार्ग का डामरीकरण	3.00	43.95	43.95	0.20
24 पौड़ी गढ़वाल में सुरपुर से वहेडाखाल-खाण्डा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण	15.00	219.75	219.75	0.20
25 उत्तरकाशी में गड अम्बेडकर हल्के वाहन मार्ग से सरनाचक तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	56.40	47.40	0.20
26 उत्तरकाशी में डडखोला-जिव्या टण्डोल हल्का वाहन मार्ग का चौड़ीकरण व डामरीकरण का कार्य	9.30	221.00	144.70	0.20
27 थाती-डिचली मोटर मार्ग का डामरीकरण	2.00	32.56	32.56	0.20
28 वडडा-ववीतड मोटर मार्ग के किमी0 5 से ग्राम आडुखोली तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	63.30	53.40	0.20
29 थल-लेजम ह0वा0मार्ग के किमी0 4 से दरमोली तक नवनिर्माण	8.00	237.00	191.60	0.20
30 जनपद नैनीताल में विकास खण्ड बेतानगाट में थुवाक्का हरिनगर मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	41.70	41.70	0.20

१. c. attesta

P.C. attested

सहायक अभियन्ता

सहयक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0
बडकोट(उत्तरकाशी)

58

33	जयपुरी सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	13.19	13.19	0.20
34	लंगी सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	27.80	27.80	0.20
34	रई सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	69.50	69.50	0.20
34	कोडिया - किमसार - तिमलयाणी सम्पर्क मार्ग से हुंडा तक मोटर मार्ग का निर्माण	10.00	139.00	139.00	0.20
35	कोडिया - किमसार - तिमलयाणी सम्पर्क मार्ग के किमी. 7.00 से दिलगा तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	41.70	41.70	0.20
36	दुगड़डा लक्ष्मण झूला बैराज के किमी. 56.00 से राजसेरा मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	97.30	97.30	0.20
37	कोडिया किमसार मोटर मार्ग के किमी 14.00 से खेराणा सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण	8.00	111.20	111.20	0.20
38	जनपद पौड़ी गढ़वाल के ब्लाक जहरीखाल में सतपुली-सिराटली मोटर मार्ग के किमी 9 से गटकोट गाँव तक सम्पर्क मार्ग	6.00	83.40	83.40	0.20
39	जनपद पौड़ी गढ़वाल के ब्लाक जहरीखाल में सतपुली-दुधारखाल मोटर मार्ग के किमी 24 से निकलने वाला नईछा ताड़केश्वर मोटर मार्ग के किमी. 6 से मालार छोटा गाँव तक सम्पर्क मार्ग बनाने का कार्य	5.00	69.50	69.50	0.20
40	जिला पौड़ी में ब्लाक जहरीखाल के अन्तर्गत सारी मल्ली सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2.00	27.80	27.80	0.20
41	जनपद पौड़ी गढ़वाल में रिखणीखाल ब्लाक के अन्तर्गत जुई ग्राम मोटर मार्ग का निर्माण	4.00	55.60	55.60	0.20
42	जनपद पौड़ी गढ़वाल में रिखणीखाल ब्लाक में ग्राम गुनेली मल्ली हेतु मोटर मार्ग के निर्माण का प्रारम्भिक आगमन	8.00	111.20	111.20	0.20
43	जनपद अल्मोड़ा विकास सण्ड द्वारागत में बिन्ता-सोमेश्वर मोटर मार्ग से नाथल तक मोटर मार्ग का प्रारम्भिक आगमन	5.00	97.10	97.10	0.20
44	जनपद अल्मोड़ा में हारसी से खौडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	6.00	137.40	83.40	0.20
45	जनपद अल्मोड़ा में तेलवाखेत कठपुडिया मोटर मार्ग से बड़गाँव सेतला तक मोटर मार्ग के नव निर्माण	4.00	91.60	58.60	0.20
46	उत्तरकाशी में केडू ज. कमलसो तक मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	94.80	94.80	0.20
47	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रिमाल पानी खील जरापुर मोटर मार्ग का निर्माण	6.50	95.80	95.80	0.20
48	जनपद चमोली में भीम गडकोट मोटर मार्ग का प्राग करचूडा तक विस्तार	25.00	410.40	405.60	0.20

P. C. attester

सहायक अभियन्ता - I

सहायक अभियन्ता II
निर्माण खण्ड लोअरविधि
गडकोट (उत्तरकाशी)

सहायक अभियन्ता

59

49	जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत डामरा कण्डारी मोटर मार्ग से दियाडी सेतवाडी तक मोटर मार्ग निर्माण चौड़ीकरण एवं भारीकरण का कार्य	10.00	191.15	184.40	0.20
50	जनपद उत्तरकाशी में धारी-किम्पी-कलोगी हल्के वाहन मार्ग से खावला ग्राम तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2.00	37.60	31.60	0.20
51	जनपद उत्तरकाशी में सारीगाड, गातू, मूलागाँव एवं मोगाँव गोडर मोटर मार्ग से जादणू तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	12.00	241.80	205.80	0.20
52	जनपद उत्तरकाशी में देहली यमनोत्री मोटर मार्ग से ख्वाडी गाँव तक मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य	10.00	107.00	107.00	0.20
कुल योग			6309.14	5839.20	10.40

(रुपये दस लाख चालीस हजार मात्र)

P. C. attester
सहायक अभियन्ता - I
निर्माण खण्ड, लो. वि. वि.
गडकोट (उत्तरकाशी)सहायक अभियन्ता II
निर्माण खण्ड लोअरविधि
गडकोट (उत्तरकाशी)(टी. के. पन्त)
संयुक्त राखिव।